



**कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।**

**प्रेस नोट**

**दिनांक 05.12.2024**

**विषय:- वृद्ध व्यक्ति एवं महिलाओ को आटो में बैठाकर चोरी करने वाले अभियुक्तगण लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार, चोरी गयी नकदी रूपये (2770/-रुपये) बारामद तथा घटान में प्रयुक्त आटो बरामद किया गया।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चोरी जैसे अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक लंका की टीम द्वारा सामने घाट जजेज गेस्ट हाउस के पास अभियुक्तगण 1.मोहम्मद मेराज पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी बुनकर कालोनी करसड़ा, थाना रोहनिया जिला वाराणसी औसत उम्र करीब 19 वर्ष, 2. अहमद अली उर्फ समीर खान उर्फ बाबू पुत्र स्व0 जलालुद्दीन निवासी 19/8 बुनकर कालोनी करसड़ा थाना रोहनिया जिला वाराणसी उम्र करीब 35वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**घटना विवरण:-**

दिनांक 04.12.2024 को शिकायतकर्ता श्री श्याम विहारी दूबे द्वारा आटो में बैठे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का पर्स चोरी कर लेने के सम्बंध थाना लंका पर 8600 रूपये व 02 एटीएम कार्ड चोरी किये जाने की तहरीर दी गयी कि जिसके क्रम में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसका सफल अनावरण करते हुए दिनांक 05/12/2024 को अभियुक्तगण 1.मोहम्मद मेराज पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी बुनकर कालोनी करसड़ा, थाना रोहनिया जिला वाराणसी औसत उम्र करीब 19 वर्ष, 2. अहमद अली उर्फ समीर खान उर्फ बाबू पुत्र स्व0 जलालुद्दीन निवासी 19/8 बुनकर कालोनी करसड़ा थाना रोहनिया जिला वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार कर कुल 2770 नकद रूपये बारामद किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**पूछताछ विवरण:-**

अभियुक्तगण पूछताछ पर बता रहे हैं कि दोनों आपस में दोस्त हैं। दिनांक 26/11/24 उक्त वाहन से घटना कारित करने के सम्बन्ध में पूछने पर पहले तो दोनो आनाकानी कर रहे हैं किन्तु कड़ाई से पूछने पर दोनो व्यक्ति संयुक्त रूप से बता रहे हैं कि हम दोनो एक ही गांव के रहने वाले है तथा दोस्त भी हैं। हम दोनो साथ में रहकर इसी आटो से सवारी ढोने का काम करते है। जब कभी कोई अकेला बुजुर्ग या महिला हम लोगों के आटो में बैठते हैं तो मौका पाकर हम लोग उसकी जेब से पैसे / पर्स आदि चुरा लेते है। इस प्रकार अपना जूर्म स्वीकार कर रहे हैं।

## नाम पता अभियुक्तगण

1. मोहम्मद मेराज पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी बुनकर कालोनी करसड़ा, थाना रोहनिया जिला वाराणसी औसत उम्र करीब 19 वर्ष,

2. अहमद अली उर्फ समीर खान उर्फ बाबू पुत्र स्व० जलालुद्दीन निवासी 19/8 बुनकर कालोनी करसड़ा थाना रोहनिया जिला वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक 05.12.2024 को सामनेघाट जजेज गेस्ट के पास गिरफ्तार किया गया।

## विवरण बरामदगी-

अभियुक्तगण के कब्जे से-2770 रुपये नगद बरामद।

घटना में प्रयुक्त आटो

आपराधिक इतिहास – अहमद अली उर्फ समीर खान उर्फ बाबू

1. मु०अ०सं० 0217/2015 धारा 323,354(क),427,452,504 भादवि व 3/7 पाक्सो एक्ट थाना रोहनिया कमि० वाराणसी
2. मु०अ०सं० 0526/2021 धारा 379/411 भादवि थाना सिगरा कमि० वाराणसी।
3. मु०अ०सं० 0403/2021 धारा 41/411 भादवि थाना मडुवाडीह कमि० वाराणसी।
4. मु०अ०सं० 0404/2021 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना मडुवाडीह कमि० वाराणसी।
5. मु०अ०सं० 0682/2021 धारा 379/411 भादवि थाना शिवपुर कमि० वाराणसी।
6. मु०अ०सं० 0103/2023 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना चेतगंज कमि० वाराणसी।
7. मु०अ०सं० 0486/2024 धारा 305/331/317(2)/61(2) बी०एन०एस० थाना लंका कमि० वाराणसी

## गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ०नि० अभय गुप्ता चौकी प्रभारी नगवा, थाना लंका, कमि० वाराणसी।
3. उ०नि० अनुज मणि तिवारी, थाना लंका, कमि० वाराणसी।
4. का० अमित कुमार शुक्ला, थाना लंका, कमि० वाराणसी।
5. का० पवन कुमार, थाना लंका, कमि० वाराणसी।
6. का० कृष्ण कान्त पाण्डेय, थाना लंका, कमि० वाराणसी।
7. का० सूरज, थाना लंका, कमि० वाराणसी।
8. का० कमल यादव, थाना लंका, कमि० वाराणसी।
9. का० हृदय कुमार, थाना लंका, कमि० वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, कार्यालय  
जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणसी